**सं .ए-45011/4/2020-प्रशासन. III**
**भारत सरकार**
**वित्त मंत्रालय**
**आर्थिक कार्य विभाग**

नई दिल्ली, जून, 2020

**कार्यालय ज्ञापन**

अधोहस्ताक्षरी को एतद् द्वारा मई, 2020 के लिए आर्थिक कार्य विभाग के संबंध में महत्वपूर्ण नीति निर्णयों पर मासिक सारांश के अवर्गीकृत भाग को परिचालित करने का निदेश हुआ है।

22.06.2020

सुरेन्द्र पाल सिंह
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 23092100 -

सेवा में,

1. केंद्रीय मंत्री परिषद, भारत सरकार, नई दिल्ली के सभी सदस्य
2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली
3. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
4. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
5. भारत के उप-राष्ट्रपति के सचिव, 6 मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली
6. प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, पीएमओ, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
7. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली
8. नीति आयोग, योजना भवन नई दिल्ली के सभी सदस्य
9. मंत्रालयों/विभागों, भारत सरकार, नई दिल्ली के सभी सचिव
10. एमओएस(एम) के निजी सचिव, वित्त सचिव के प्रधान निजी सचिव, सचिव(आर्थिक कार्य) के प्रधान निजी, सचिव(राजस्व) के प्रधान निजी सचिव, सचिव(व्यय) के प्रधान निजी, सचिव(आर्थिक कार्य) के प्रधान निजी सचिव(डीआईपीएएम) के प्रधान निजी
11. मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग
12. अपर सचिव, (श्री ए गिरिधर) मंत्रि मंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
13. डॉ. सी.एस. मोहपात्रा, अपर सचिव (एमएस एंड सीएस), आर्थिक कार्य विभाग
14. श्री के राजारमन, अपर सचिव (प्रशासन और निवेश), आर्थिक कार्य विभाग
15. श्री समीर कुमार खरे, अपर सचिव (एफबी एंडएडीबी), आर्थिक कार्य विभाग
16. सुश्री मीरा स्वरूप, एएस एंड एफए (वित्त)
17. श्री ए एम बजाज, अपर सचिव (वित्त मंत्री) आर्थिक कार्य विभाग
18. श्री संजीव संयाल, मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग
19. आर्थिक कार्य विभाग में प्रभागों के सभी प्रमुख। संयुक्त सचिव (बजट)/संयुक्त सचिव (बीसी एंड आईईआर)/ संयुक्त सचिव (निवेश)/सलाहकार (सीएंडसी/एफएसएलआर/एफएसएंडसीएस)/सलाहकार (आईईआर)/सीएएए
20. श्री अरुण कुमार, सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग
21. सुश्री राजश्री रॉय, सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग
22. श्री राजेश मल्होत्रा, अपर महानिदेशक (एमएंडसी), वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
23. गार्ड फाइल-2020

**सं.ए-45011/4/2020-प्रशासन. III**

**भारत सरकार**

**वित्त मंत्रालय**

**आर्थिक कार्य विभाग**

***

**विषय: मई, 2020 महीने के आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर मासिक सारांश ।**

**1. वृहत्त आर्थिक सिंहावलोकन**

अप्रैल, 2020 के महीने के लिए मैक्रो-इकनोमिक रिपोर्ट का प्रकाशन डीईए की वेबसाइट पर उपलब्ध है और सारणीबद्ध रूप में महत्वपूर्ण जानकारी का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

**2. अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ**

2.1 (क) माननीय वित्त मंत्री ने 21.05.2020, को कंकन एवं नजेरेकोर, गिनी में क्षेत्रीय अस्पताल के निर्माण और उन्नयन हेतु 20.506 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता का अनुमोदन किया है।

(ख) आर्थिक कार्य विभाग ने कोविड-19 का सामना करने के लिए 15 मिलियन यूरो के अनुदान तथा संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल कोष (यूनिसेफ) के माध्यम से जर्मनी से 5 मिलियन यूरो की तकनीकी सहायता की प्रतिबद्धता के लिए 4 मई, 2020 को अपनी सहमति व्यक्त की है।

(ग) हिमाचल प्रदेश में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और तैयारी परियोजना के लिए एएफडी, फ्रांस के समक्ष 650 करोड़ भारतीय रुपए/ यूरो 81.95 मिलियन का प्रस्ताव 20 मई, 2020 को प्रस्तुत किया गया था।

(घ) मध्यप्रदेश में पर्यवेक्षी नियंत्रण और डाटा अधिग्रहण (एससीएडीए) द्वारा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण, 33/11 केवी उप केंद्रो और एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) आधारित स्मार्ट मीटरिंग निवेशों को सक्षण करने हेतु केएफडब्ल्यू, जर्मनी को दिनांक 28 मई, 2020 को 1120 करोड़ भारतीय रुपए/यूरो 155.85 मिलियन का प्रस्ताव दिया गया।

2.2 (क) "महाराष्ट्र राज्य सडक सुधार" शीर्षक परियोजना के लिए 28 मई, 2020 को 177 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता के लिए एडीबी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया।

(ख) पश्चिम बंगाल प्रमुख सिंचाई ओर बाढ प्रबंधन परियोजना के लिए 15 मई, 2020 को डब्ल्यूबी से 145 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ग) भारत के कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम में तेजी लाने के लिए 15 मई, 2020 को डब्लूबी से 750 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता पर हस्ताक्षर किए गए थे।

2.3 मई, 2020 के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:

| क्र.सं. | ऐजेंसी का नाम | परिपत्र की तारिख | लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय |
|---|---|---|---|
| 1 | सेबी | 20.5.2020 | सेबी ने सभी सूचीबद्ध इकाइयों के लिए यह अ निवार्य किया है कि वे सभी निवेशकों को पूंजी , वित्तीय संसाधानों एवं नकदी परिसंपतियों इ त्यादि पर इस महामारी के प्रभाव के संबंध में समयोचित और विशुद्ध प्रकटन करना चाहिए। |
| 2. | सेबी | 21.5.2020 | दोश ठीक हो जाने के पश्चात् और भुगतान सा मान्य होने पर सेबी ने निदेश जारी किए हैं कि 90 दिनों की अवधि के पश्चात् कंपनी की गैर-निवेशक ग्रेड की रेटिंग में सीआरए को सु धार करना होगा। सीआरए 90 दिनों की अव धि को प्रत्येक मामले के अनुसार बदल सकता है। |
| 3 | सेबी | 14.5.2020 | कोविड-19 के संदर्भ में, स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा 01 मार्च,2020 से गैर अनुपालन की ति थि तक सूचीबद्ध इकाइयों की न्यूनतम सार्वज निक शेयरधारण आवश्यकता जिसकी अंतिम तिथि 01 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक के बीच में आती है, को पैनल एक्शन से छूट दी गई है। |

2.4(क) एनआईपी टास्क फोर्स ने वित्तीय वर्ष 2020 से 2025 तक के दौरान अनुमानित 111 लाख करोड़ रुपए के कुल अवसंरचाना निवेश सहित वित्तीय वर्ष 2019-25 के लिए एनआईपी पर अपनी अंतिम रिर्पोट 29 अप्रैल, 2020 को वित्त मंत्री को प्रस्तुत कर दी है।

ख) सामाजिक क्षेत्रों के लिए वीजीएफ योजना को जारी रखने एवं पुन: सशक्त बनाने के लिए सीसीईए के लिए एक प्रारूप नोट तैयार किया गया था और वित्त मंत्री ने उसे अनुमोदित भी कर दिया है। नोट को पीएमओ एवं मंत्रिमंडल सचिवालय में टिप्पणी के लिए भेजा गया है। पीएमओ से कोई भी टिप्पणी नहीं मिली है। मंत्रिमंडल सचिवालय की टिप्पणियों को शामिल करने के पश्चात् अंतिम मंत्रिमंडल नोट तैयार किया गया है।

ग) एनआईपी टास्क फोर्स की सिफारिशों पर, एनआईपी के लिए संसाधनों को एकत्रित करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग में एक अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति (आईएमएससी) का गठन किया गया और आर्थिक कार्य विभाग के सचिव ने 19 मई, 2020 को इसकी पहली बैठक की अध्यक्षता की।

2.5 नकदी की कमी पर ध्यान दिलाने हेतु एनबीएफसी/एचएफसी के लिए विशिष्ट नकदी योजना का शुभारंभ' पर 11 मई, 2020 की मंत्रिमंडल टिप्पणी का अनुमोदन 20 मई, 2020 को हुई मंत्रिमंडल बैठक में कर दिया गया।

2.6 भारत सरकार और एनडीबी के बीच एनडीबी के भारतीय क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना के लिए हस्ताक्षर एवं सुधार के समझौते के मंत्रिमंडल नोट के अनुमोदन की स्थिति: 24 अप्रैल, 2020 को अंतिम नोट को टिप्पण के लिए पीएमओ भेजा गया।

2.7 (क) इस माह के दौरान सशक्त समूहों को विभिन्न आर्थिक एवं कल्याणकारी उपाय उपलब्ध कराने के लिए सचिवालय सहायता दी गई।

(ख) माननीय वित्त मंत्री के द्वारा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 5 श्रृंखलाओं की घोषणा हेतु विभिन्न उपायों के लिए सचिवालय सहायता दी गई।

2.8 **मई, 2020 के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण बैठके आयोजित की गई:-**

i. माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामण ने 28.5.2020 को हुई वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (एफएसडीसी) की 22वीं बैंठक की अध्यक्षता की। बैठक में वर्तमान वैश्विक और घरेलू मैक्रो- अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई है, जिसमें वित्तीय स्थिरता और कमजोर मुद्दों, बैंकों के सामने आने वाले मुख्य मुद्दे तथा विनियामक एवं निति प्रतिक्रिया के रूप में वित्तीय संस्थाएं, एनबीएफसी/एचएफसी/एमएफआई के नगदी/ऋण सोधन क्षमता तथा अन्य संबंधित मुद्दे शामिल हैं।

ii. गठित एनआईपी के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए एनआईपी टास्क फोर्स की सिफारिशों पर आर्थिक कार्य विभाग का गठन किया गया है। आर्थिक कार्य विभाग के सचिव

ने दिनांक 19 मई, 2020 को आयोजित पहली अंतर-मंत्रालयी स्थायी समिति की अध्यक्षता की।

iii. 14 मई, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडो-जर्मन वार्षिक परामर्श बैठक2020 आयोजित की गई थी।

iv. 5 मई, 2020 को कान्फारेंस कॉल के माध्यम से मानकों के कार्यान्वयन पर एफएसबी की स्थायी समिति (एससीएसआई) की एक आभासी (वर्चुअल) बैठक आयोजित की गई थी।2020 के लिए एससीएसआई वितरण की पुन: प्राथमिकता, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ कोविड -19 की निगरानी स्थिरता पर प्रतिक्रियाएं और कार्यान्वयन और सुधारों के प्रभाव पर छठी वार्षिक रिपोर्ट जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई थी। अपर सचिव (एफएस और सीएस) ने सचिव (ईए) की ओर से भाग लिया था।

v. एफएसबी के ईडब्ल्यूजी (अर्ली वार्निंग ग्रुप) के दो कान्फारेंस कॉल 4 मई, 2020 और 25मई, 2020 को आयोजित की गई थी। टू-बिग-टू-फेल सुधार के प्रभावों के मूल्यांकन पर मसौदा परामर्श रिपोर्ट के लिए सामग्री को अंतिम रूप देने से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। समूह के सदस्य के रूप में सलाहकार (एफएस और सीएस) द्वारा बैठक में भाग लिया गया था।

vi. अपर सचिव (एफबी और एडीबी) ने दिनांक 20 मई, 2020 को आयोजित आर्थिक कार्य विभाग की 106वीं स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की।

vii. दिनांक 14 मई, 2020 को 2020 रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डिपॉजिट्स की पहली वास्तविक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

viii. दिनांक 26 और 29 मई, 2020 को भारत और उजबेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) पर चर्चा के लिए दो बार वीडियो कान्फॉरेंस का आयोजन किया गया था।

ix. दिनांक 27 मई, 2020 को द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) पर चर्चा के लिए भारत और इजरायल के बीच एक बार डिजिटल वीडियो कान्फॉरेंस का आयोजन किया गया था।

**3. न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन**

विशेष रूप से, सूचना प्रस्तुत करने में आईसीटी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

**4. एसीसी निदेशों / आदेशों का गैर-अनुपालन**

शून्य

**5. महीने के दौरान एफडीआई के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई और विभाग में एफडीआई प्रस्तावों की अनुमोदन की स्थिति प्रतीक्षित है।**

विभाग में प्रतीक्षित अनुमोदन : 05

*****